# प्रेस नोट दिनांक 19.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 19.03.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति मय हमराह हे0का0 रमेश कुमार द्वारा एसटी नं0-563/2017 धारा 63/2017 धारा 498,304बी भादवि व 3/4 डीवी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त वारण्टी धीरेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम ढिकुही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. धीरेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम ढिकुही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति मय हमराह हे0का0 रमेश कुमार थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-19.03.2025
थाना- कोहंडौर, जनपद- प्रतापगढ़

लूट के अभियोग से संबंधित ₹10,000/- के इनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त की गिरफ्तारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग से संबंधित ₹10,000/- के इनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त कल्लू मियां उर्फ मोहम्मद यासीन को ग्राम पटेला, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर से गिरफ्तार किया गया-

इनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद जौनपुर, जनपद सुल्तानपुर, जनपद प्रतापगढ़ में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर 05 अभियोग पंजीकृत है-

घटना का विवरण-
दिनांक 09.06.2025 की रात्रि में थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उसका में वादी की बकरा-बकरियों व मोबाइल को आरोपीगणों द्वारा उठा ले जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोहंडौर पर मु0अ0सं0 86/25 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 राजकुमार मिश्रा, उ0नि0 प्रतीक सिंह, का0 अजय गौड़, का0 संतोष कुमार यादव मय चालक का0 पुष्पेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 86/25 धारा 309(6) बीएनएस थाना कोहंडौर से संबंधित ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) के ईनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त कल्लू मियां उर्फ मोहम्मद यासीन पुत्र महबूब उर्फ बाबू, निवासी ग्राम पटेला,थाना खुटहन जनपद जौनपुर को ग्राम पटेला, थाना खुटहन जनपद जौनपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-
01- कल्लू मियां उर्फ मोहम्मद यासीन पुत्र महबूब उर्फ बाबू, निवासी ग्राम पटेला,थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

आपराधिक इतिहास-
इनामिया अन्तर्जनपदीयअभियुक्त कल्लू मियां उर्फ मोहम्मद यासीन पुत्र महबूब उर्फ बाबू, निवासी ग्राम पटेला,थाना खुटहन जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 454/2019 धारा 41, 411, 414 भादवि थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0 455/2019 धारा 25, 3 आयुध अधिनियम थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर।
3. मु0अ0सं0 290/2019 धारा 379, 411, 414 भादवि थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर।
4. मु0अ0सं0 215/2019 धारा 379, 411 भादवि थाना करौंदीकलां, जनपद सुल्तानपुर।
5. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 309(6), 317(2) बीएनएस व 25, 3 आयुध अधिनियम थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 राजकुमार मिश्रा, उ0नि0 प्रतीक सिंह, का0 अजय गौड़, का0 संतोष कुमार यादव मय चालक का0 पुष्पेन्द्र यादव थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 19.03.2026
थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 03 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत नहर ऐलाही पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-
अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़, जनपद जौनपुर में हत्या, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी जैसे लगभग 07 अभियोग पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह

का आजीत चौहान,का0 नीरज पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ऐलाही पुलिया के पास से 01 अभियुक्त अंकित सिंह सुत अमरबहादुर सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम महुली थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ को 03 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 03 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 50/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अंकित सिंह सुत अमरबहादुर सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम महुली थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 – 60/20, धारा – 395/120B/412 भादवि, थाना – पवारा, जनपद – जौनपुर।
02. मु0अ0सं0 – 84/20, धारा – 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना – पवारा, जनपद – जौनपुर।
03. मु0अ0सं0 – 88/20, धारा – 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना – पवारा, जनपद – जौनपुर।
04. मु0अ0सं0 – 136/18, धारा – 302/120बी भादवि व 7/27 आर्म्स एक्ट, थाना – आसपुर देवसरा, जनपद – प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 – 175/18, धारा – 147/323/352/504/506 भादवि व 3(2) SC/ST Act, थाना – आसपुर देवसरा, जनपद – प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 – 14/19, धारा – 307 भादवि, थाना – आसपुर देवसरा, जनपद – प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 – 15/19, धारा – 379 भादवि, थाना – आसपुर देवसरा, जनपद – प्रतापगढ़।

बरामदगी-

03 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह का आजीत चौहान,का0 नीरज पटेल थाना आसपुरदेवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 19.03.2026

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

"प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता : चोरी के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही : चोरी के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद स्टेप्लाईजर, 01 अदद स्टाटर, 01 अदद झटका मशीन, 01 अदद छोटी बैट्री, 01 सोलर पैनल व 01 अदद एलईडी टीवी बरामद-

प्रतापगढ़।
दिनांक 16.03.2026 की रात्रि में वादी निवासी ग्राम तिबीपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के खेत से अज्ञात चोरों द्वारा स्टाटर व स्टेप्लाइजर चोरी कर लिया गया। साथ ही पड़ोसी के खेत से झटका मशीन, छोटी बैटरी व सोलर प्लेट भी चोरी कर ली गई। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 48/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह उ0नि0 कृष्णानन्द श्रीवास्तव, हे0का0 पवन नायक, का0 लालबहादुर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 48/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. रवी वर्मा उर्फ मोहित वर्मा पुत्र घनश्याम वर्मा निवासी ग्राम तीबीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष, 02. .मिथलेश कुमार विश्वकर्मा उर्फ रिंकू पुत्र जीतलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम किलाई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष, 03. अभिषेक विश्वकर्मा पुत्र राजमणि विश्वकर्मा निवासी ग्राम नकहरा भीलमदेव उर्फ नवाबाद थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत बनरहिया बाग हनुमान मन्दिर के पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद स्टेप्लाईजर, 01 अदद स्टाटर, 01 अदद झटका मशीन, 01 अदद छोटी बैट्री, 01 सोलर पैनल व 01 अदद एलईडी टीवी बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय में पंजीकृत अभियोग में धारा 317 (2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 16.03.2026 की रात हम तीनो लोग मिलकर ग्राम तीबीपुर के रहने वाले वादी व उसके पडौसी के खेत में लगे समरसेबुल का स्टाटर व स्टेप्लाइजर व झटका मशीन व एक छोटी बैट्री व एक सोलर पैनल व तीबीपुर के रहने वाले व्यक्ति के बन्द पडे घर चोरी किये थे। और आज रात्रि में हम लोग मिलकर चोरी किये सामान को बेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. रवी वर्मा उर्फ मोहित वर्मा पुत्र घनश्याम वर्मा निवासी ग्राम तीबीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष।
02. मिथलेश कुमार विश्वकर्मा उर्फ रिंकू पुत्र जीतलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम किलाई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष।
03. अभिषेक विश्वकर्मा पुत्र राजमणि विश्वकर्मा निवासी ग्राम नकहरा भीलमदेव उर्फ नवाबाद थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद स्टेप्लाईजर, 01 अदद स्टाटर, 01 अदद झटका मशीन, 01 अदद छोटी बैट्री, 01 सोलर पैनल व 01 अदद एलईडी टीवी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह उ0नि0 कृष्णानन्द श्रीवास्तव, हे0का0 पवन नायक, का0 लालबहादुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-19.03.2026
थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू क्षेत्र में महिला व पुत्र की हत्या के दोहरे हत्याकांड का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना अंतू पुलिस व स्वॉट टीम की संयुक्त कार्रवाई में दोहरे हत्याकांड का खुलासा, अवैध संबंध के विवाद में महिला व पुत्र की हत्या करने वाला अभियुक्त ककरहिया मोड़ से गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में गठित टीम द्वारा दोहरे हत्याकांड का सफल अनावरण, अवैध संबंध के विवाद में महिला व पुत्र की हत्या करने वाला अभियुक्त रणबहादुर मौर्या गिरफ्तार, 01 अदद आलाकत्ल कुदाल बरामद-

प्रतापगढ़।
दिनांक 16.03.2026 को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पारा हमीदपुर में 01 महिला एवं उसके पुत्र की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जांच में 01 महिला (उम्र लगभग 42 वर्ष) एवं उसका पुत्र उम्र लगभग 14 वर्ष के शव उनके घर में पाए गए, जिनके सिर पर चोट के निशान पाए गए थे। घटना के संबंध में मृतकों के परिजनों द्वारा अपने पटीदारों पर संदेह व्यक्त किए जाने के आधार पर थाना अंतू पर मु0अ0सं0 58/2026 धारा 103(1), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट, स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही विधिवत की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

प्रकरण की गहन विवेचना के दौरान तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त नामजद अभियुक्त घटना में संलिप्त नहीं पाए गए। उक्त अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस का लोप किया गया। जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि मृतका के किसी व्यक्ति से अवैध संबंध थे, एवं रणबहादुर मौर्या पुत्र रणजीत मौर्या निवासी ग्राम पारा हमीदपुर, थाना अंतू प्रतापगढ़ से भी अवैध संबंध थे। घटना के समय मृतका वीडियो कॉल पर वार्ता कर रही थी, जिसे देखकर अभियुक्त आक्रोशित हो गया और कुदाल से प्रहार

कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान मृतका का पुत्र, जो पास में सो रहा था, जाग गया और घटना देख ली, जिस पर अभियुक्त द्वारा उसकी भी हत्या कर दी गई। मौके से मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही नेतृत्व में थाना अंतू निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव मय हमराह व स्वॉट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अमित कुमार चौरसिया (मय प्रथम व दित्तीय टीम) मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 58/26 धारा 103(1)/351(3) बी0एन0एस0 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रणबहादुर मौर्या पुत्र रणजीत मौर्या नि०ग्राम पारा हमीदपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल कुदाल के साथ थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ककरहिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त रणबहादुर मौर्या ने बताया कि जो मेरे घर के पास दोहरे हत्या काण्ड में 01 महिला व उसके बेटे की हत्या की घटना हुई थी उनकी हत्या मैंने ही की थी। मेरा और महिला से करीब 03 वर्ष से प्रेम सम्बन्ध था। फिर भी वह कई लोगो से वार्ता करती थी जिसे मैंने कई बार अन्य लोगो से बात करने से मना किया किन्तु वह नही मान रही थी और मुझे धोखा दे रही थी जबकि मैं मृतका महिला व उसके पूरे परिवार का पूरा खर्च व देखभाल करता था। घटना के समय भी वह किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बातचीत कर रही थी। यह देखकर मैं गुस्सा हो गया। और उसी आवेश मे आकर मैंने शिवपती के सिर पर कुदाल से वार कर दिया। जिससे वह मौके पर ही मर गयी उसी समय उसका लड़का औरव जो बगल मे सो रहा था। जाग गया और चिल्लाना चाहा तो मैंने अपने आप को फंसता देख उसे भी उसी कुदाल से सिर पर वार कर मार दिया था। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी। मृतका के पुत्र को मारने की मेरी कोई मंशा व नियत नही थी। केवल अपने आप को बचाने के लिये मैंने उसकी की जान ले ली। आप लोगो को जानकारी होने पर मैं गाँव मे ही छिप-छिप कर रह रहा था अन्तिम संस्कार मे भी मैं नही गया था । आज मैं बाहर भागने के लिये निकला था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल कुदाल को बरामद किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01. रणबहादुर मौर्या पुत्र रणजीत मौर्या नि०ग्राम पारा हमीदपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल कुदाल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री रामनरेश, उ0नि0 श्री सुरेश यादव व उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार यादव, मुख्य आरक्षी ऋषिकेश, आरक्षी रणजीत सिंह, म0 आ ज्योति सिंह मय चालक आरक्षी उपेन्द्र यादव थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

स्वॉट टीम-

प्रथम टीम- स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अमित कुमार चौरसिया,आरक्षी अरविन्द दुबे,का0 जागीर सिंह, का0 सनोज, का0 आशुतोष पाण्डेय मय चालक राजेन्द्र कुमार।
द्वितीय टीम- उ0नि0 श्री दिनेश सिंह, हे0का धनन्जय राय, हे0का0 महेन्द्र प्रताप, का0 सलमान खान व चालक हे0का0 राजेन्द्र प्रताप सिंह।

प्रेस नोट दिनांक-19.03.2026
थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रेम संबंध के विवाद में युवती की हत्या का खुलासा, थाना लालगंज पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा प्रेम संबंध के विवाद में युवती की हत्या का खुलासा, 01 अभियुक्त अनुज सिंह को किया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई के पास ग्राम कैथौला से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।
दिनांक 15.03.2026 को वादिनी निग्राम, पुत्री मदनगढ़ बेलहा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ की लगभग 25 वर्षीय पुत्री, जो लगभग 6 माह की गर्भवती थी, ईलाज के लिए घर से लालगंज हेतु निकली और उसके बाद लापता हो गई। इसी संबंध में मृतका की गुमशुदगी दिनांक 15.03.2026 को थाना लालगंज में दर्ज कराई गई थी।

जांच में ज्ञात हुआ कि आरोपी अनुज सिंह एवं उसके सहयोगियों द्वारा अपहण कर मृतका की हत्या की गई और उसकी लाश गोंदाही नहर में फेंक दी गई थी। दिनांक 17.03.2026 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक नहर-2 के पास नहर किनारे मृतका का शव पाया गया।

इस संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 87/2026 धारा 140(1), 103(1) बीएनएस बनाम 01 नामजद अनुज सिंह व अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट, स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही विधिवत की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के

कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में प्र0नि0 थाना लालगंज आलोक कुमार मय हमराह व0उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, उ0नि0 बनवारी लाल पाल, का0 माधवेश राय, का0 ऋषिराज यादव चालक हे0 का0 चालक सुभाष यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा 140(1), 103(1) बीएनएस थाना लालगंज से संबंधित 01 अभियुक्त अनुज सिंह पुत्र दलबहादुर सिंह उम्र करीब 27 वर्ष निवासी सांगीपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई के पास ग्राम कैथौला से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त अनुज सिंह ने बताया कि मृतका को मै काफी समय से जानता हूँ हम दोनो एक दूसरे से प्रेम करते थे व आपस में बात करते थे। दिनांक 15.03.2026 को मृतका लालगंज आयी थी यही पर मेरी उसकी मुलाकात हुई वह मेरे साथ रहने की जिद्द कर रही थी। मै उसको समझा रहा था मेरी भी शादी तय हो गयी है मेरे काफी समझाने पर भी जब वह नही मानी तो मैने उससे पीछे छुड़ाने के लिए अपने टायर के गोदाम फायर सर्विस लालगंज के थोड़ा आगे बायी तरफ लेकर गया और बबिता को वही बैठाकर फिर समझाया लेकिन वह नही मानी और मुझे थप्पड़ मार दिया। मैने भी उसे गुस्से मे थप्पड़ मारा इसके बाद मै गोदाम से बाहर चला गया और बाजार से कोल्ड्रिक व गिलास लेकर आया गिलास में कोल्ड्रिक निकालकर उसमें जहर मिलाकर बबिता में देकर मै फिर मै वहाँ से चला गया। जब मै वापस आया तो देखा कि मृतका वही बैठी है। बोलने पर वह कोई जवाब नही दे रही थी। वहाँ पर कोल्ड्रिक की बोतल भी नही थी। पता नही उसने कोल्ड्रिक पिया या नही फिर मैने अचानक उसका गला दबा दिया और वह जमीन पर गिर गयी। इसके बाद मै शाम तक इन्तजार किया जैसे ही दिन छिप गया मै मृतका के शरीर को अर्टिगा कार की डिग्गी में रखकर गोदाही नहर संग्रामगढ़ में ले जाकर फेक दिया। जब मृतका की लाश नहर में मिली तो मै डर गया था और इधर-उधर छिप कर रह रहा था कि आज आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

अभियुक्त का विवरण-
01. अनुज सिंह पुत्र दलबहादुर सिंह उम्र करीब 27 वर्ष निवासी सांगीपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
प्र0नि0 थाना लालगंज आलोक कुमार मय हमराह व0उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, उ0नि0 बनवारी लाल पाल, का0 माधवेश राय, का0 ऋषिराज यादव चालक हे0 का0 चालक सुभाष यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 19.03.2026
थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा "सामूहिक दुष्कर्म" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को रेलवे स्टेशन जनपद मैनपुरी से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के

कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह का संजय चौहान, का0 पंकज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 70(1) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत सिंह पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी हर्राजपुर कला, बसैट थाना किशनी जनपद मैनपुरी उ0प्र0 को क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन जनपद मैनपुरी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत सिंह पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी हर्राजपुर कला, बसैट थाना किशनी जनपद मैनपुरी उ0प्र0।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह का संजय चौहान, का0 पंकज यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 19.03.2026
थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा "अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट" के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, मुकेश गौड व राजेश गौतम को गिरफ्तार किया गया-

थाना अंतू पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौरा मोड अन्तू प्रतापगढ़ मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी लाखन सिंह, आरक्षी संदीप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 3(5),87,137 (2),70(2), 127 (2) BNS व धारा 3/4(2) पॉस्को एक्ट थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. मुकेश गौड पुत्र दिनेश गौड उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम शिवराजपुर डिहवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 2. राजेश गौतम पुत्र पप्पू गौतम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी तेलिया चौराहा सदर बाजार थाना को0 नगर प्रतापगढ़ स्थायी पता ग्राम दहेर कला थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौरा मोड अन्तू प्रतापगढ़ मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. मुकेश गौड पुत्र दिनेश गौड उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम शिवराजपुर डिहवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
2. राजेश गौतम पुत्र पप्पू गौतम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी तेलिया चौराहा सदर बाजार थाना को0 नगर प्रतापगढ़ स्थायी पता ग्राम दहेर कला थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी लाखन सिंह, आरक्षी संदीप यादव थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 19.03.2026
थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा "अपहरण" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम असुढी मोड पट्टी रानीगंज मार्ग के पास से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 कमलेश यादव मय हमराह हे0का0 राज सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87/75(1)/351 (3)/352/127 (3) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त उमेश गौतम पुत्र सुध्धूराम निवासी ग्राम असुढ़ी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम असुढी मोड पट्टी रानीगंज मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अभियुक्त उमेश गौतम पुत्र सुध्धूराम निवासी ग्राम असुढ़ी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 कमलेश यादव मय हमराह हे0का0 राज सिंह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 19.03.2026
थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 05 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महेवा मलकिया गंगा एक्सप्रेसवे अंडर पास से रायगढ़ खास गाँव की तरफ जाने वाले सर्विस रोड़ से गिरफ्तार किया गया-
अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में लूट, चोरी, विस्फोटक अधि0, एनडीपीएस, विद्युत अधि0 जैसे लगभग 06 अभियोग पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल

पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह का0 राहुल कुमार व का0 प्रेमवीर सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महेवा मलकिया गंगा एक्सप्रेसवे अंडर पास से रायगढ़ खास गाँव की तरफ जाने वाले सर्विस रोड़ से 01 अभियुक्त सूरज मिश्रा उर्फ उत्कर्ष मिश्रा पुत्र स्व0 पवन मिश्रा नि0 ग्राम तिलौरी मोड़ अत्तानगर कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 76/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सूरज मिश्रा उर्फ उत्कर्ष मिश्रा पुत्र स्व0 पवन मिश्रा नि0 ग्राम तिलौरी मोड़ अत्तानगर कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त सूरज मिश्रा उर्फ उत्कर्ष मिश्रा पुत्र स्व0 पवन मिश्रा नि0 ग्राम तिलौरी मोड़ अत्तानगर कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 138/2020 धारा 341/392/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 139/2020 धारा 403/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 564/2017 धारा 138बी वि0 अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 205/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 200/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 76/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह का0 राहुल कुमार व का0 प्रेमवीर सिंह थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 19.03.2026
थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां0 विकास बाबू व कां0 दिलीप कुमार द्वारा SPN. T. NO. 106/2015 राज्य बनाम दीपक कुमार अपराध सं0- 21/2015 धारा 363/366/506 भादवि व 3/4 पाक्सो

एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त 01 नफर वारंटी दीपक कुमार सरोज उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र शोभनाथ निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. दीपक कुमार सरोज उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र शोभनाथ निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां0 विकास बाबू व कां0 दिलीप कुमार थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।